

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)
हाजीपुर

दिनांक :- 28.02.2020

सं० ईसीआर/आईआरडब्ल्यू/सीएसबीएफ बैठक/2019-20

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) उत्तर एवं दक्षिण,
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रू घाट पटना।

मंडल रेल प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल,

धनबाद, दानापुर, पं० दीन दयाल उपाध्याय, सोनपुर एवं समस्तीपुर।

मुख्य कारखाना प्रबंधक/पूर्व मध्य रेल,

पीडी- पं० दीन दयाल उपाध्याय, समस्तीपुर एवं हरनौत।

विषय:- दिनांक 18.02.2020 को संपन्न केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति का कार्यवृत्त के संबंध में।

केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर की बैठक दिनांक - 18.02.2020 को प्रधान कार्यालय/हाजीपुर में आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय (कार्यवृत्त) की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्नक:- कार्यवृत्त।

(ए० के० झा)

सलाहकार/कार्मिक

कृते महाप्रबंधक(का०)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव:- महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव:- । :- अपर महाप्रबंधक के सादर सूचनार्थ।
3. निजी सचिव:- प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. निजी सचिव:- प्रविस महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. मुकाधि (प्र०) महोदय एवं मुकाधि (औ.सं.) महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. सभी विभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपुर को सादर सूचनार्थ।
7. चिकित्सा निदेशक/पूमरे/ सीएसएसएच/पटना
8. उपमुख्यताधि/इंजी०- सह राज्य सचिव, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हाजीपुर।
9. कार्मिक विभाग के सभी अधिकारी।
10. महामंत्री/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
11. ओबीसी एवं एससीएसटी एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
12. सकाधि/एमपीपी:- पूमरे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

28/02/2020

कृते महाप्रबंधक(का०)/पूमरे/हाजीपुर

दिनांक 18.02.2020 को प्रधान मुख्य कर्मिक अधिकारी-सह-अध्यक्ष, के कक्ष में आयोजित केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति:-

प्रशासन पक्ष से पदाधिकारीगण			यूनियन पक्ष से (सर्वश्री/श्रीमती)		
1	श्री सुशान्त झा प्रधान मुख्य कर्मिक अधिकारी	अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	1	मनीष कुमार, कार्यालय अधीक्षक भंडार विभाग/हाजीपुर।	उपाध्यक्ष/ईसीआरकेयू
2	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव मुख्य कर्मिक अधिकारी/आईआर	उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	2	एस एस डी मिश्रा एस.एस.ई.(कैरेज एवं वैगन) आरएनसीसी/दानापुर।	सहायक महासचिव, ईसीआरकेयू
3	श्री एस.के.सिंह मुख्य सामान्य इंजिनियर	सदस्य, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	3	मो. जियाउद्दीन, एसएम/बरकाकाना/ धनबाद।	कोषाध्यक्ष/ईसीआरकेयू
4	डॉ. एम. रवि कुमार प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक	सदस्य, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	4	अविनाश कुमार वरिय अनुवादक, प्रशासन विभाग हाजीपुर।	कार्यालय सचिव, ओबीसी एशोसिएशन
5	श्री सूर्य नारायण उप मुख्य कर्मिक अधिकारी/ औ.सं. एवं कल्याण	सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति	5	शंभू नाथ राम मु0कार्यालय अधीक्षक, मु0जनसंपर्क अधिकारी हाजीपुर।	जोनल अपर सचिव, सह-मुख्य एससी/एसटी, एशोसिएशन/हाजीपुर
6	श्री महेन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार	सदस्य, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति			
7	रामप्रवेश राय	मुख्य कार्यालय अधीक्षक सीएसबीएफ			
8	पूजा सिंह	अवर लिपिक सीएसबीएफ			

श्री सुशान्त झा, प्रमुकाधि-सह- अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। मदवार चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

मद सं.	टिप्पणी	कार्यवृत्त/निर्णय
1	वर्ष 2019-20 में सीएसबीएफ को रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी राशि एवं CSBF की अद्यतन स्थिति के संबंध में ज्ञातव्य हो कि वर्ष "2019-20" के लिए CSBF/ECR को कुल ₹ 8,80,00,000/- (आठ करोड अस्सी लाख) की राशि	

मो. 0.21/3डी0

18/02/20

एस.एस.डी. मिश्रा

18/02/2020

18/2/20

18.2.2020

18/2/20

18/2

18/02/2020

आवंटित की गई है। वर्ष 2018-19 में CSBF को आवंटित की गई राशि में स्काउट एवं गाइड्स, क्रीड़ा तथा आपदा के लिए तत्काल राहत की गतिविधियों के लिए आवंटित राशि को मंडलों एवं यूनिटों के बीच बांटना नहीं था, जबकि इसे बांट दिया गया। बाद में क्रीड़ा संघ द्वारा दावा करने पर वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त राशि में से ही उन्हें वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित राशि का भुगतान करना पड़ा। स्काउट/गाइड को वर्ष 2018-19 की राशि का भुगतान Scout & Guide/ECR/HJP को नहीं किया गया है। जिसे CSBF की अनुरक्षित निधि से Scout & Guide/ECR/HJP को किया जाना है। इसके अतिरिक्त CSBF के संचित निधि जो लगभग ₹27405328/- (दो करोड़ चौहत्तर लाख पाँच हजार तीन सौ अठ्ठाईस) था, वह भी शून्य हो गया क्योंकि वर्ष 2018-19 में Revised Estimate से प्राप्त राशि ₹2,52,34,000/- (दो करोड़ बावन लाख चौत्तीस हजार) गलती से CSBF के खाते में आहरित नहीं हो पाया जबकि आवंटन के अनुसार सभी मंडलों/यूनिटों द्वारा आवंटित राशि की निकासी कर लिया गया।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रस्ताव रखा जाता है :

- I. वर्ष 2019-20 के प्राप्त कुल ग्रांट ₹880000000/- (आठ करोड़ अस्सी लाख) में से 20 प्रतिशत राशि सीएसबीएफ में अनुरक्षित रखा जाये।
- II. तदुपरांत उक्त ग्रांट से 20 प्रतिशत घटाने के बाद बची हुई राशि में से अब तक व्यय की गई राशि ₹10219035/- (एक करोड़ दो लाख उन्नीस हजार पैंतीस) को घटाने पर शेष राशि ₹ 60180965/- (छः करोड़ अठारह लाख नौ सौ पैंसठ) रुपये आता है।
- III. बोर्ड के निर्देशानुसार क्रीड़ा, स्काउट एवं आपदा के मद में प्राप्त कुल राशि ₹ 57,17,184 (सन्तावन लाख सत्तर हजार एक सौ चौरासी) का ऊपर (ii) में बची राशि में घटाने पर कुल शेष राशि ₹ 5,44,63,781/- (पाँच करोड़ चौवालीस लाख तीरसठ हजार सात सौ एकासी) आता है, जिसे सभी मुख्यालय/मंडलों/यूनिटों में मदवार वितरण संलग्न सूची के अनुसार किया जा सकता है।

समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई एवं शेष राशि ₹ 5,44,63,781/- (पाँच करोड़ चौवालीस लाख तीरसठ हजार सात सौ एकासी) पर सम्पुष्टि के साथ-साथ कर्मचारी हित निधि के नियमों के अन्तर्गत इस राशि को प्रधान कार्यालय, मंडलों, निर्माण संगठन एवं स्वतंत्र यूनिटों में वितरण करने पर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं. 2

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार शिक्षा, स्काउट एवं खेल-कूद को छोड़कर अन्य मद के 25% निधि का पुनर्विनियोजन

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

मो. ५५५३३३

18/07/20

एड. एड. डी. निहा

18/07/2020

18/7/20

18/7/20

18/7/20

18/7/20

18/7/20

(Re-appropriation of fund) एक हेड से दूसरे हेड में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह appropriation ग्रेड पे ₹ 2400/- से नीचे के ग्रेड पे हेतु Scholarship for higher/Technical Professional and Education of girl children & Male children के लिए उपलब्ध करवाई गई राशि के लिए भी आपस में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

यह अधिकार अध्यक्ष, मंडल/इकाई एसबीएफ समिति को देने पर विचार किया जाये ताकि उल्लिखित मदों को छोड़कर अन्य मद के पुनर्वियोजन में आवश्यकतानुसार मंडल/इकाई सीएसबीएफ को कोई परेशानी न हो ना ही इसके लिए सीएसबीएफ से अनुमोदन लेना पड़े।

समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्न सहमति प्रदान की गयी-

1. ₹2400/- से उपर के ग्रेड पे में अराजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों (पुत्री/पुत्र/ट्रांसजेण्डर) के लिए उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा जैसे B.E/B.Tech./M.B.B.S./BDS/BBA/BBM/BCA/PGDM/L.L.B./Diploma etc. के मामले में प्रति माह ₹1500 की दर से अधिकतम 18000/- वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति सहायता SBF से प्रदान किया जाए।

2. ₹2400/- से नीचे के ग्रेड पे में अराजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों (पुत्री/पुत्र/ट्रांसजेण्डर) के लिए उच्च तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा जैसे B.E/B.Tech./M.B.B.S./ BDS/ BBA/BBM/ BCA/ PGDM/ L.L.B./ Diploma etc. के मामले में प्रति माह 1500 ₹ की दर से अधिकतम 18000/- वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति सहायता SBF से प्रदान किया जाए।

सहायता की राशि का निर्णय मुख्यालय/मंडल/इकाई अपने फंड में उपलब्ध राशि के अनुसार लेंगे।

(1) समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महिला दिवस के अवसर पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया जाए इसके साथ ही महिला रेलकर्मियों को सम्मानित

मद सं. 3

तकनीकी/व्यावसायिक उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति सहायता प्रदान किये जाने पर निर्णय।

मद सं. 4.

महिला सशक्तिकरण गतिविधि संबंधित निर्णय :-

मो 02/13/20

18/02/20

एस. एस. डी. मिश्रा
18/02/2020

3

18/02/20

18/02/20

18/02/20

18/02/20

18/02/20

		<p>किया जायेगा। सेमिनार का आयोजन कार्यदिवस के पहली पाली में किया जाए।</p> <p>(2) ECRKU द्वारा संचालित कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र, पटना में दिनांक 03.03.2020 को महिला रेलकर्मियों के लिए एक महिला सशक्तीकरण गोष्ठी आयोजित किया जा रहा है जिसमें लगभग 200 महिला रेलकर्मि सम्मिलित होगी एवं उक्त प्रशिक्षण शिविर में AIRF के पदाधिकारी भी सम्मिलित होंगे। अतः उक्त आयोजन के लिए ECRKU को ₹1,5,00,000 (एक लाख पचास हजार रु०) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका भुगतान केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के अनुरक्षित निधि से किया जाएगा।</p>
मद सं. 5.	प्लांट-डिपो/डीडीयू एवं वर्कशॉप/समस्तीपुर इकाईयों में अलग से कोई Institute/Club नहीं है अतएव उक्त दोनों इकाईयों के SBF के मद सं. 06 की राशि को वर्तमान में मुख्यालय/हाजीपुर के आरक्षित फंड में रखी जाए। इस पर समिति द्वारा सहमति अपेक्षित है।	<p>समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यह विचार व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी कि अगर भविष्य में वहाँ Institute/Club की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है तो उन्हें फण्ड स्वीकृत किया जायेगा।</p>
मद सं. 6.	<p>Relief in distress sickness - SBF मद सं. 08 के अनुसार वैसे कर्मचारी जो लंबे समय से बीमार हैं और एक लंबी अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती हैं एवं उनके छुट्टी खाते में LAP/LHAP जमा नहीं है तथा बिना वेतन के छुट्टी पर हैं, ऐसे में चिकित्सा राहत अनुमेय है। विभिन्न बीमारियों के लिए चिकित्सा राहत पूर्व में कर्मचारी एवं उनके परिवार को दिया जाता रहा है। इस पर समिति द्वारा सहमति अपेक्षित है।</p>	<p>चिकित्सा सहायता हेतु समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्न सहमति प्रदान की गयी :-</p> <p>(i) स्वयं की गंभीर बीमारी में अराजपत्रित कर्मचारी को ₹75,000/-</p> <p>(ii) गंभीर बीमारी में आश्रित (पास नियम के अनुसार) को ₹ 50,000/-</p> <p>(iii) अन्य बीमारी एवं ऑपरेशन (परिवार नियोजन को छोड़कर) के मामले में प्रत्येक आवेदकों को प्रथम बार 20,000/- अनुदान राशि प्रदान किया जाए। जिसका भुगतान Relief in distress sickness, etc. for staff मद सं. 8 से किया जाएगा।</p> <p>(iv) अराजपत्रित कर्मचारी जो रेलवे अस्पताल में चिकित्सा हेतु भर्ती हैं और उनके अवकाश खाता में LAP/LHAP अवकाश जमा नहीं रहने के कारण वे अवैतनिक चल रहे हैं, वैसे कर्मचारी को परिवार का भरण-पोषण के लिए प्रति माह ₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) तक रेलवे अस्पताल के चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाए।</p> <p>(v). रेल कर्मचारियों की मृत्यु होने पर</p>

मा० ०२१/३३१०

18/02/20

एस. एस. डी. निरु

18/02/2020

4

20/02/20

20/02/20

20/02/20

18/02/20

20/02/20

20/02/20

		अत्येष्टि प्रभार के लिए प्रत्येक मामले में ₹10,000/- (दस हजार) प्रदान किया जाए। सहायता की राशि का निर्णय मुख्यालय/मंडल/ईकाई अपने फंड में उपलब्ध राशि के अनुसार लेंगे।
मद सं. 7.	<p>वर्ष 2019-20 में CSBF से स्वयं कर्मचारी का 30 एवं उनके परिवार के लिए 18 आवेदन चिकित्सा सहायता हेतु प्राप्त हुआ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> कुल 48 आवेदनों में से 20 पर विभिन्न बीमारियों के लिए प्रमुकाधि-सह- अध्यक्ष/सीएसबीएफ के स्वीकृति के उपरान्त चिकित्सा सहायता राशि का भुगतान सीएसबीएफ के संचित निधि से किया जा चुका है। 08 कर्मचारियों/आश्रितों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। 17 आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान किया जाना है। (सूची संलग्न है) <p>इसके अतिरिक्त तीन आवेदन अलग प्रकृति के हैं— पहला आवेदन नीरज कुमार, Pointsman/SPJ का स्वयं के लिए है। दूसरा आवेदन श्री अवीनाश कुमार CVI/HJP का है जिन्होंने अपने आश्रित पिता के सहायता के लिए मांग की है। नीरज कुमार के आवेदन पर सहायता राशि की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु लेखा विभाग ने इसे समस्तीपुर मंडल का कर्मचारी होने के नाते भुगतान आदेश पर आपत्ति उठाते हुए उसे वापस कर दिया। अतः उक्त दोनों आवेदनों को महाप्रबंधक महोदय की स्वीकृति हेतु, उन्हें प्रस्तुत किया गया था। महाप्रबंधक महोदय ने इसे अपर महाप्रबंधक महोदय को रेफर कर दिया और अपर महाप्रबंधक महोदय ने फाइल का अवलोकन करने के उपरान्त इन मामलों को CSBF कमिटी के समक्ष रखने का आदेश दिया। तीसरा मामला श्री मुकेश कुमार यादव टेक्नीशियन, यांत्रिक/सडिमका, हरनौत का है जिन्होंने अपने Premature जुड़वा बच्चों के जन्म पर इलाज में हुई अप्रत्याशित व्यय के लिए सहायता राशि की मांग की है। इस पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।</p>	<p>समिति द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित उक्त 17 प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से उनके सामने उल्लिखित राशि पर स्वीकृति प्रदान की गयी। अन्य तीन मामलों में (1) श्री नीरज कुमार, Pointsman/SPJ को ₹ 75,000/- (2) श्री अवीनाश कुमार CVI/HJP को अपने आश्रित पिता के इलाज पर की गई व्यय को ध्यान में रखते हुए (as a special case for one time) उन्हें ₹ 50,000/- तथा (3) श्री मुकेश कुमार यादव, टेक0/हरनौत को ₹ 50,000/- (as a special case for one time) की राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>
मद सं. 8.	SBF मद सं. 9 -Sports activities, मद सं0 1410 Scouts & Guides activities and मद सं0 (12) immediate relief in time of crisis arising out of floods, famines, landslides, fire or any other calamity की राशि को वर्तमान में मुख्यालय/हाजीपुर के अनुरक्षित फंड में रखी जाए और बाद में इसे निर्देशानुसार रिलीज किया जाए। इस पर समिति द्वारा सहमति अपेक्षित है।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं. 9.	प्लांट-डिपो/डीडीयू, वर्कशॉप/समस्तीपुर, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत एवं निर्माण संगठन/महेंद्रु घाट/पटना	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव यह कहते हुए कि "भविष्य में अगर उनके यहाँ यह

मो. 0. भा. 33/10

18/02/20

र.स. र.स. डी. मिश्रा
18/02/2020

5

18/02/20

18/02/2020

	इकाईयों में Indigenous system of medicine including homeopathy गतिविधियों का कार्यान्वयन नहीं है। अतएव SBF मद सं. 11 की राशि को वर्तमान में मुख्यालय/हाजीपुर के आरक्षित फंड में रखी जाए। कृपया इस पर सहमति समिति द्वारा अपेक्षित है।	व्यवस्था उपलब्ध होती है तो उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
मद सं. 10.	होमियोपैथिक परामर्शदाता डा० अरविन्द कुमार सिंह एवं डा० रेणु सिन्हा की एक वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 26.06.2020 को समाप्त होगी। होमियोपैथिक परामर्शदाता की सेवा अवधि विस्तार करने पर निर्णय अपेक्षित है।	समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पॉली क्लीनिक/हाजीपुर एवं सेंट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में होमियोपैथिक परामर्शदाता के पद पर विनियोजन एक वर्ष की अवधि विस्तार के लिए इनके व्यक्तिगत कार्यकलाप एवं दैनिक मरीजों की संख्या के आधार पर अगले वर्ष के लिए सेवा विस्तार हेतु अलग से विचार किया जायेगा।
मद सं. 11.	इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मद में फंड की कमी रहती है। पॉली क्लीनिक हाजीपुर एवं सेंट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में होमियोपैथिक परामर्शदाता के पद पर विनियोजित परामर्शदाताओं के साथ-साथ मंडलों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए परामर्शदाताओं का मानदेय का भुगतान बोर्ड के निर्देशानुसार चिकित्सा शीर्ष से भुगतान किये जाने पर विचार।	समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मद में फंड की कमी की भरपाई हेतु रेलवे बोर्ड के आरबीई 112/2010 (पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 2008/डब्ल्यूई-1/10 दिनांक 09.08.2010) के निर्देशानुसार होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक परामर्शदाताओं का मानदेय भुगतान चिकित्सा शीर्ष से की जाए। मुख्यालय एसबीएफ समिति उपरोक्त मद में अपने आवश्यकतानुसार चिकित्सा विभाग से प्रत्येक वर्ष राशि की मांग करेगी ताकि होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक परामर्शदाताओं एवं डिस्पेंसरी के मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से हो सके।
मद सं. 12.	चश्मा के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि रु. 1000/- (एक हजार सौ) पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चश्मा के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि रु. 1000/- (एक हजार सौ) का भुगतान विविध मद सं. 14 से किया जाएगा। यह सहायता कर्मचारी को उनकी सेवाकाल में सिर्फ दो बार दी जाएगी।
मद सं. 13.	Developing occupational skills of physically/mentally challenged employees and their wards मद सं. 13 तहत किन-किन आधार पर आवेदकों को SBF से अनुदान राशि प्रदान की जाय इस पर विचार- निर्णय।	1. दिव्यांग के मामले में आवेदकों को निम्न प्रकार अनुदान राशि प्रदान किया जाए - (क) 100 से 80 प्रतिशत विकलांगता पर ₹15,000/- (अधिकतम) (ख) 80 से 40 प्रतिशत विकलांगता पर ₹10,000/- (अधिकतम)
मद सं. 14.	रेलवे कर्मचारी के असामयिक मृत्यु होने पर उनके शव को उनके घर तक सुरक्षित एवं सम्मानित ढंग से पहुँचाने के लिए तांबूत की व्यवस्था एसबीएफ से करने पर विचार/निर्णय।	समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि On duty Accidental death या Runover death के मामले में सम्मानित रूप से शव को घर ले जाने हेतु एवं तांबूत के लिए मुख्यालय/मंडल/यूनिट,

मो. ०२१३३३

18/02/20

रक्ष. रक्ष. डी. मिना 6
18/02/2020

18/02/20

18/02/20

18/02/2020

		प्रत्येक मामले में रु 10,000/- (दस हजार मात्र) की स्वीकृति अपने एसबीएफ के विविध मद में आवंटित फंड से कर सकते हैं।
मद सं. 15.	सीएसबीएफ की दिनांक 18.02.2020 को आयोजित बैठक हेतु स्टेशनरी, नाश्ता-चाय एवं working lunch के लिए रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति पर विचार/निर्णय।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं. 16.	केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के खाते को लेखा विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति नहीं रखे जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार/निर्णय।	समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के तत्काल बाद मंडलों/यूनिटों द्वारा SBF के माध्यम से व्यय की गयी राशि आदि का पूर्ण विवरण (विशिक्षित) प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करवायें।
मद सं. 18.	पुराना प्रशासनिक भवन में अवस्थित कर्मचारी कैन्टीन को Upgrade करने के लिए 08 अदद AC एवं आवश्यकतानुसार फर्नीचर पर व्यय होने वाले राशि तथा प्रधान कार्यालय द्वारा SBF के माध्यम से संचालित सभी कैन्टीनों के उपस्कर (Utensils/Furnitures) आदि के लिए कुल Rs. 8,00,000/- (आठ लाख) की स्वीकृति देने पर विचार/निर्णय।	समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मद सं. 19.	सभी मंडलों में प्रायः एसबीएफ के लिए एक अपना अलग बैंक खाता संचालित किया जा रहा है। मंडलों को आवंटित राशि का निकासी करके उसे उक्त खाते में रख लिया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उस खाते से निकासी करके भुगतान किया जाता है। प्रधान कार्यालय में भी सीएसबीएफ के लिए एक अलग बैंक खाता खुलवाये जाने एवं मुख्यालय/हाजीपुर को आवंटित राशि के साथ-साथ सीएसबीएफ की अनुरक्षित राशि को उक्त खाते में जमा करके रखने के प्रस्ताव पर विचार।	मंडलों की भाँति मुख्यालय/हाजीपुर में भी सीएसबीएफ के नाम से बैंक खाता खोले जाने की सहमति पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर.) एवं मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जायेगा।
मद सं. 20.	कोनहारा घाट रेलवे कॉलोनी परिसर में ओपन जिम स्थापित किया गया है जिसका लागत कुल ₹ 4,44,549/- है। जिसका कार्यान्वयन एवं अनुमोदन देने पर विचार/निर्णय।	समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह स्वीकृति प्रदान की गई कि जिम में लगाये गए उपकरणों को देखने के उपरान्त अगर इसे सही पाया गया तो उसकी राशि को निर्गत किया जाये।
मद सं. 21.	ईस्ट सेंट्रल रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राज्य का प्रशिक्षण केन्द्र दानापुर में बनाया गया है, जो क्रमशः विकसित हो रहा है। प्रशिक्षण केन्द्र में एक प्रशिक्षण में प्रायः 150 से 500 तक बच्चे सम्मिलित होते हैं। उनके खाने का प्रबंध करने हेतु भाड़े पर बर्तन मंगवाये जाते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र में म्यूजिक सिस्टम एवं वाद्य-यंत्रों की उपलब्धता भी अति आवश्यक है। अतः उक्त प्रयोजन के लिए CSBF से 4,00,000 (चार लाख रुपये) स्वीकृत करने पर विचार।	इस पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन्हें SBF के माध्यम से ही अलग से फंड दिया जाता है। तथापि नये प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिए CSBF के अनुरक्षित निधि से ₹ 2,00,000/- दो लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
मद सं. 22.	पतरातु, झांझा, सिंगरौली, कोनहारा घाट/हाजीपुर, बडवाडीह, समस्तीपुर, बरौनी, बक्सर एवं हरनौत स्थित सामुदायिक भवन/क्लब के फर्नीचर तथा अन्य उपस्करों के	उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। इसका भुगतान केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के अनुरक्षित निधि

मो 0211341

18/02/20

228.228.डी.मि.का

18/02/2020

18/02/20

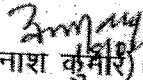
18/02/2020

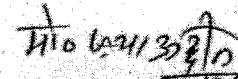
	लिए प्रत्येक इकाई को ₹1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये) की सहायता राशि देने का प्रस्ताव रखा गया।	से किया जायेगा।
मद सं. 23.	ECRKU द्वारा ZRTI/MFP के छात्रावास में शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए RO/Aquaguard मशीन के लिए प्रस्ताव रखा गया।	इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ZRTI/MFP अथवा ECRKU से इस पर लिखित प्रस्ताव आने पर विचार करके अध्यक्ष-केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इसका व्यय केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि के अनुरक्षित निधि से किया जायेगा।
मद सं. 24.	उपरोक्त मदों के अलावा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:- अ) एससी/एसटी एशोसिएशन के कार्यालय हेतु कम्प्यूटर, मेज व कुर्सी आदि उपस्करों पर विचार अथवा निर्णय।	एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन के कार्यालय हेतु कम्प्यूटर, मेज व कुर्सी आदि उपस्करों के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) की राशि तथा इसी प्रयोजन हेतु ECRKU को 1,00,000 (एक लाख रुपये) रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मनीष कुमार)
उपाध्यक्ष/ई.सी.आर.के.यू.


(एस.एस.डी. मिश्रा)
सहा. महासचिव/ई.सी.आर.के.यू.


(शंभू नाथ सिंह)
जोन्ल अपर सचिव/एस.सी.एस.टी.एशो.
सह. मुख्य शाखा सचिव


(अविनाश कुमार)
वरीय अनुवादक/प्रशासन
कार्यालय सचिव/ओ.बी.सी. एशो.

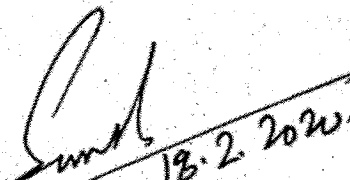

(मो. जियाउद्दीन)
स्टेशन मास्टर/बरकाकाना
कोषाध्यक्ष/ई.सी.आर.के.यू.

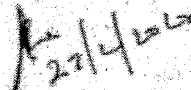

(एस.क.सिंह)
मुख्य सामान्य इंजीनियर
सदस्य/सी.एस.बी.एफ/हाजीपुर


(एम. रवि कुमार)
प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
सदस्य/सी.एस.बी.एफ/हाजीपुर


(महेंद्र कुमार)
वरि. सहायक वित्त सलाहकार
सदस्य/सी.एस.बी.एफ/हाजीपुर


(सूर्य नारायण)
उप.मु.का.अधि. /ओ.सं. व कल्याण
सचिव/सी.एस.बी.एफ/हाजीपुर


(सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव)
मुख्य कार्मिक अधिकारी/ओ.सं.
उपाध्यक्ष/सी.एस.बी.एफ/हाजीपुर


(सुरांत झा)
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
अध्यक्ष/सी.एस.बी.एफ/हाजीपुर

Total Budget Grant Received for the year 2019-20 - Rs. 8,80,00,000/-

Balance Amount for distribution amongst Dividend Shareholders of 2019-20 up till now Rs.1,02,19,035/-

Division/Unit

Sanction Strength		DHN	DNR	MGS	SEE	SPJ	PD/ MGS	HQ	SP/MS	HRT	CAO/CON	Reserved with HQ	TOTAL	
SN	Head/Activity	26587	16236	16404	13507	12465	2278	6818	632	1004	1478		97409	
Allocation (Rs.)														
1	Education - Scholarship for Higher Technical/Professional education for ward of staff to all non-gaz. Niv. Employee	116	2155490	1316303	1329923	1095054	1010576	184684	552756	51238	81397	119826	0	7897247
2	Scholarship for Higher Technical/ Professional education of girl children of staff in gr. Pay upto 2400/-	110	2043999	1248218	1261134	1038414	958305	175132	524166	48588	77187	113628	0	7488771
3	Scholarship for Higher Technical/Professional education of male children of staff in gr. Pay upto 2400/-	100	1858181	1134744	1146485	944012	871186	159211	476514	44171	70170	103298	0	6807972
4	Women empowerment activities including seminar/camps, Trg. Programmes & Gender sensitization camps etc.	28	520291	317728	321016	264323	243932	44579	133424	12368	19648	28924	0	1906233
5	Recreation other than sports	32	594618	363118	366875	302084	278780	50947	152485	14135	22455	33055	0	2178552
6*	Recreational facilities at institutes and clubs etc.	36	668945	408508	412735	339844	313627	0	171545	0	25261	37187	73218	2450870
7	Promotion of cultural activities	16	297309	181559	183438	151042	139390	25474	76242	7067	11227	16528	0	1089276
8	Relief of distress, sickness, etc. for staff in gr. pay upto Rs. 4600/-	120	2229817	1361692	1375782	1132815	1045423	191053	571817	53005	84204	123958	0	8169566
9	Sports activities	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2042392
10	Scouts and Guides activities	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2042392
11*	Indigenous system of medicine including homeopathy	36	668945	408508	412735	339844	313627	0	171545	0	25261	37187	73218	2450870
12	Immediate Relief in time of crisis arising out of floods, famines, landslides, fire or any other calamity.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110405
13	Developing occupational skills of physically/mentally challenged Railway employees and their wards including purchase of wheelchair, others aides, sp, software etc. and organising workshops, seminars, camps etc.	50	929091	567372	573242	472006	435593	79605	238257	22085	35085	51649	0	1633914
14	Miscellaneous	80	1486545	907795	917188	755210	696949	127369	381211	35337	56136	82639	0	5446379
Total		800	13453231	8215545	8300553	6834648	6307388	1038054	3449962	287994	508031	710692	5357683	54463781

116 15215375

228.225 A.C.

04/04

Nil

~~1870~~ 1870/20

1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713

~~2/15/72~~

18102/2020

1872

2nd and
18/01/2020

Medical Assistance in distress CSBF-2019-20										
SN. Employee (S/Sst/ Smt.)	Design	Deptt	Ward Name	Relation with employee	Nature of Disease	Name of Bank	Bank a/c No	IPSC code	Amount Proposed (Rs)	Granted best three years
Priority-1										
1	Ravi Shekhar			Self	Traumatic with distal femoral plate and tibial intramedullary nail instn right knee	SBI/Patna	11042068866			1st term Paid on (05.06.2017) 2nd Term applied
2	Dharendra Nath Jha	OS		Self	Chronic critical liver disease	SBI/Patna	11035324661	SEIN003475	25000	
3	Bhavesh Kumar	JE		Self	Spinal Cord Injury	Canara Bank	8609101004203	CNRE0008609	75000	
4	Chitrangjan Mishra	Ch.OS	Pers./HJP	Self	Multy disease					
5	Vikash Kumar	Chawkidar	Sr.DMO/DNR	Self	Huntington Chorea	SBI	30293628902	SEIN0011806	25000	
6	Kamleshwar singh	Ch.OS	Admn./HJP	Self	Liver Cirrhosis and Hepatitis- C	BOI/HJP	465410100060291	BEID0004671	75000	
7	Md. Tabish	CCNL	GJD	Self	Chornic Kidney disease					
8	Avik Goswami	Watchman	CDMS/PD/DDU	Self	Kidney/CKD)Stage-5	SBI	32537108951	SEIN0001869	75000	
9	Mannohan	MCM	CWM/PD/DDU	Self	Canser	Canara Bank	3204118000024	CNRE0003204	75000	
10	Anrendra Kumar	MCM	CDMS/PD/DDU	Self	Heart (75% Blockage)	SBI	10731273994	SEIN0001869	75000	
11	Lal Muni Ram	Crane Driver	CWM/PD/DDU	Self	Heart (CAD)	Canara Bank	3204118000057	CNRE0003204	75000	
12	Anup Kumar Roy	OS	CWM/PD/DDU	Self	Heart (CAD)	BOI/DDU	691310100015054	BEID0006913	75000	

Continue

18/09/2020

18/09/20

18/09/20

18/09/20

18.2.2020

18.2.2020

18/09/20

Priority - 2											
13	Pravin Kumar Singh	CSWI	CON/MHX/ Patna	Dr. Rabina Singh	Wife	Systemic Lupus Erythematosus, Neuropsychiatric Lupus, Probable Class 2 Lupus Nephritis, Bilateral Pleural Effusion, Mild Positive Lupus Anticoagulant etc.	SBI	30085807772	SBIN0000152	50000	1st term Paid on (30.05.2019)
14	Gauranga Pramanik	Peon	PCCM/HJP	Sangita Pramanik	Daughter	Pancreatitis with Hepatitis B & Blood infection	SBI	33149851765	SBIN0011381	50000	2nd Term applied
15	Birendra kr. Satendra Pd. Singh	Tech.-I	RNCC/PNBE	Ankit Kumar	Son	Cancer	SBI/Patna	31547974017	SBIN0005331	50000	
16		Tech.-I	CWM/PD/DDU	Baby Singh	Wife	Heart (CAD)	SBI/DDU		SBIN0006393	50000	
17	Gulab Chand Bharti	MCM	CWM/PD/DDU	Jyoti Devi Gulab Chand Bharti	Wife	Turner (Carotid body tumor)	Central Bank	3194253403	CBIN0283399	50000	

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020